झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/969/2017– 19/19-20 ...   /राँची, दिनांक 01.07.2017

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– **गढ़वा जिलान्तर्गत बांयी बांकी सिंचाई योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 164.81 करोड़ (रूपये एक सौ चौसठ करोड़ एकासी लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर प्रक्षेत्राधीन गढ़वा जिलान्तर्गत बांयी बांकी सिंचाई योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु कुल रू० 164.81 करोड़ (रूपये एक सौ चौसठ करोड़ एकासी लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. बांयी बांकी सिंचाई योजना से दो मुख्य नहर निकलती है। बांयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 28.27 कि०मी० है तथा दांयी मुख्य नहर की कुल लम्बाई 24.677 कि०मी० है। बांयी मुख्य नहर की तीन वितरणियाँ सरस्वतिया, सोहागड़ा एवं खरौंधा की लम्बाई क्रमशः 3.17 कि०मी०, 6.58 कि०मी० एवं 11.76 कि०मी० है। दांयी मुख्य नहर से निःसृत दो वितरणियाँ बोदरा एवं भुसुआ की लम्बाई क्रमशः 7.00 कि०मी० एवं 6.15 कि०मी० है।

4. योजना का निर्माण वर्ष 1960 के दशक में रूपांकित खरीफ सिंचाई क्षमता 5270 हे० एवं रब्बी सिंचाई क्षमता 810 हे० हेतु किया गया था। लगभग 50 वर्षों के बाद आज की तारिख में वर्षापात के पैटर्न में परिवर्त्तन होने के कारण जल उपलब्धता में कमी होने से सिंचाई क्षमता में कमी हुई है। चूँकि यह एक Diversion योजना है, अतः पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त इस योजना से 4200 हे० खरीफ सिंचाई दी जा सकेगी। योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता, विगत तीन वर्षो में सिंचाई उपलब्धि एवं पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता का विवरण निम्नवत् है –

			खरीफ (हे०)	रब्बी (हे०)
(i)	रूपांकित सिंचाई क्षमता	–	5270	810
(ii)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त पुनर्बहाल होने वाली सिंचाई क्षमता	–	2825	0
(iii)	पुनरूद्धार कार्य के उपरान्त कुल सिंचाई क्षमता	–	4200 (79.7%)	0

5. योजना का पुनरूद्धार (ई०आर०एम०) कार्य के लिये मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर द्वारा इस योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर का लाईनिंग कार्य हेतु रू० 16424.00 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा गेटों के जीर्णोद्धार हेतु रू० 57.385 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई है। प्राक्कलन के प्रमुख अवयवों की विवरणी निम्नवत् है –

Sl. No.	Component	Amount (in Lakh)
A	**Regulator (Cost of Mechanical Work with GST & Labour Cess)**	57.39
B.1	Repair of Fall (77 Nos.)	246.36
2	Repair of C.D. Works (23 Nos.)	478.60
3	Repair of Bridges (19 Nos.)	59.45
4	Repair of Inlets & Outlets (13 Nos.)	35.50
5	Earth work in LMC & RMC (including 5 nos. Distributories)	2179.44
6	Lining work of LMC & RMC	11361.27
7	Cost of Augmentation of Inlet canal system from Beldaha tank	15.76
	Total :-	**14376.38**
	Add : GST - 12% on 'B'	1725.17
	Total :-	**16101.55**
	Add : 1% for CNC	161.02
	Add : Labour Cess - 1%	161.02
	Total (B) :-	**16423.58**
	Say (B) :-	**16424.00**
	Grand Total (A+B) :-	**16481.39**

6. इस पुनरूद्धार कार्य अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराये जायेगें –

i) बांयी बांकी सिंचाई योजना के बांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 28.27 कि०मी० तक पुनरूद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

ii) बांयी मुख्य नहर के सरस्वतिया वितरणी के कि०मी० 0.00 से 3.17 कि०मी० तक पुनरूद्धार कार्य।

iii) बांयी मुख्य नहर के सोहागड़ा वितरणी के कि०मी० 0.00 से 6.58 कि०मी० तक पुनरूद्धार कार्य।

iv) बांयी मुख्य नहर के खरौंधा वितरणी के कि०मी० 0.00 से 11.76 कि०मी० तक पुनरूद्धार कार्य।

v) बांयी बांकी सिंचाई योजना के दांयी मुख्य नहर के कि०मी० 0.00 से 24.68 कि०मी० तक जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य।

vi) दांयी मुख्य नहर के बोदरा वितरणी के कि०मी० 0.00 से 7.00 कि०मी० तक जीर्णोद्धार कार्य।

vii) दांयी मुख्य नहर के भुसुआ वितरणी के कि०मी० 0.00 से 6.15 कि०मी० तक जीर्णोद्धार कार्य।

viii) योजना अन्तर्गत बेलदाहा तालाब से Inlet Canal का निर्माण कार्य।

ix) योजना अन्तर्गत विभिन्न संरचनाओं यथा– Outlets, Inlets, Falls, Road Bridge एवं Cross Drainage works का मरम्मति एवं निर्माण कार्य।

7. यह पुनरूद्धार कार्य वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में प्रारम्भ कर अगले तीन वर्षों में पूर्ण कर लिया जायेगा।

8. कार्य कराने के पूर्व असम्बद्ध प्रमण्डल द्वारा प्रि–लेवल एवं मापी एवं प्रस्तावित कार्य की मात्रा की जाँच करा ली जाएगी।

9. पुनरूद्धार कार्य के पूर्व एवं कार्य कराने के बाद कार्य स्थल का स्टील फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी करा ली जायेगी।

10. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिसे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

11. इस योजना पर होने वाला व्यय

(i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप-मुख्य शीर्ष – 80–सामान्य, लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 4701-80-800-54-05-45)

12. वर्ष 2019–20 के लिये स्वीकृत बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

a) शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 800 – 54 – 05 – 45 में रू० 36000.00 लाख

13. इस योजना के असैनिक कार्यों का कार्यान्वयन जल पथ प्रमण्डल, गढ़वा द्वारा कराया जायेगा। मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, गढ़वा होगें।

14. इसके यांत्रिक कार्यों का कार्यान्वयन यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल (लातेहार) द्वारा कराया जाएगा। मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे तथा कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल (लातेहार) इसके निकासी एवं व्यय पदाधिकारी होंगे।

15. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

16. कार्य के लिये राशि की निकासी गढ़वा कोषागार, गढ़वा से की जायेगी।

17. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

18. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

19. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

20. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति एवं योजना –सह– वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

21. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 18.06.2019 के मद सं०–15 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

22. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

23. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/- 26.6.19

(अरूण कुमार सिंह)

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/969/2017– 11/19-20 ज० सं०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 1.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/969/2017– 11/19-20 ज० सं०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गढ़वा कोषागार, गढ़वा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 1.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः– 1/पी०एम०सी०/कार्य/969/2017– 11/19-20 ज० सं०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता (यांत्रिक), जल संसाधन विभाग, राँची/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, जल पथ प्रमण्डल, गढ़वा/कार्यपालक अभियंता, यांत्रिक प्रमण्डल, मंडल (लातेहार)/ कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/- 1.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)

सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/969/2017—19/19-20 प०स०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :— उपायुक्त, गढवा को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

1.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव

पत्रांकः— 1/पी०एम०सी०/कार्य/969/2017—19/19-20 प०स०/राँची, दिनांक 01.07.2019

प्रतिलिपि :— मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

1.7.19

(सत्येन्द्र नारायण उपाध्याय)
सरकार के संयुक्त सचिव